न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/103/2025	2025/91	06.03.2025	31.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. मन्नी पत्नी हरि,
2. पहलाद पुत्र हरि,
3. गीता पुत्री हरि,
4. मनीषा पुत्री हरि,

जातियान बलाई, निवासी दुहारमाला तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

—:निर्णयः—

तहसीलदार थानागाजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम दुहारमाला, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दुहारचौगान तथा भू—अभिलेख निरीक्षक वृत्त भूडियावास अप्रार्थी को भू—आवंटन कमेटी द्वारा आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी आवंटित की गयी थी। आवंटी के वारिसान है — मन्नी पत्नी हरि, प्रहलाद पुत्र हरि, गीता पुत्री हरि, मनीषा पुत्री हरि। आवंटी/अप्रार्थी उक्त आराजी का गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है।

अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है अप्रार्थी को आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर की भूमि का आवंटन किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि पर अप्रार्थी व अप्रार्थी के वारीसानों का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

था। आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला गैर खातेदार हरि पुत्र प्रभात जाति बलाई सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का दुहारचौगान की जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम दुहारमाला के आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि मौके पर खाली पडत पड़ा हुआ है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है। उक्त खसरा मौके पर वन विभाग की सीमाओं के अन्दर स्थित है जो कि वन विभाग के क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उक्त खसरा नंबर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। आवंटी हरि पुत्र प्रभात फौत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रकरण हाजा में अप्रार्थीगण हैं। आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी के वारिसान का कब्जा काश्त रहा है। पटवारी हल्का मौका एवं जॉच रिपोर्ट दिनांक 27.12.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर आवंटी/अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न0 536 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि वाके ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)